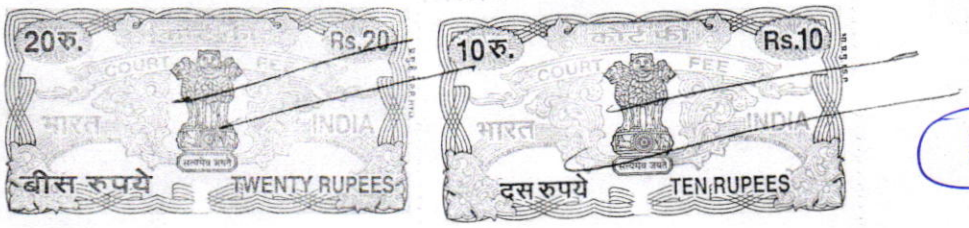

179

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप-जबलपुर

Rg - 3226 - I 16

पुनरीक्षण क्रमांक /2016 जिला जबलपुर

नवीन कुमार सरोते पिता राजेन्द्र सरोते उम्र 37 वर्ष
निवासी 90 क्वाटर, दुर्गा कॉलोनी,
गढ़ा जबलपुर जबलपुर

---- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

---- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-9-16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 तहत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व की ग्राम छिवलहा नं.बं. पुराना 326 नया 18 प.ह.नं. 28/18 रा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 183/1, 190 रकबा 0.583, 0.704 कुल रकबा 1.287 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति के सदस्य 1- श्रीमती पूनम गुप्ता, श्री सदीप पटेल, 3-श्री मुकेश कुशवाल 4-श्री मनीश पटेल, 5- श्री अजय मिश्रा को विक्रय करना चाहता है, अतः विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये ।

3- यहकि, कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से दिनांक 21.4.16 को प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त आवेदन जिलाध्यक्ष ने आदेश दिनांक अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन अभिमत सहित भेजने के निर्देश दिए गए । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा । तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को पेश किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा शीघ्र सनवाई

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3226–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.9.16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 83/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–9–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक नवीन कुमार सरोते द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम छिवलहा न.बं. पुराना 326 नया 18 प.ह.नं. 28/18 रा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 183/1, 190 रकबा 0.583, 0.704 कुल रकबा 1.287 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य 1– श्रीमती पूनम गुप्ता 2– श्री सदीप पटेल, 3–श्री मुकेश कुशवाल 4–श्री मनीश पटेल एवं 5– श्री अजय मिश्रा को विकय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, जबलपुर को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा विकेता एवं	

निगरानी 3226. I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	केताओं के कथन लेने के उपरांत भूमि विकय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा निजी आवश्यकताओं के लिए रूपयों की आवश्यकता होने के कारण कलेक्टर के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का आवेदन प्रस्तुत किया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था किंतु उनके द्वारा ऐसा न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करना न्यायोचित नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा जिस व्यक्ति से भूमि कय की जा रही है उसके द्वारा शीघ्र विकयपत्र संपादित कराने को कहा जा रहा है । ऐसी स्थिति में उसके आवेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में इस न्यायालय द्वारा ही जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन को स्वीकार कर भूमि विकय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 3226–एक / 16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि कय करना नहीं चाहते । भूमि विकय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा 1.287 हैक्टर भूमि विकय की जा रही है और उसके बदले में 2.00 हैक्टर भूमि कय की जा रही है, इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं आयेगी । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आवेदक को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम छिवलहा न.बं. पुराना 326 नया 18 प.ह.नं. 28 / 18 रा.नि.मं. जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 183 / 1, 190 रकबा 0.583, 0.704 कुल रकबा 1.287 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्यों को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।	

निग० 3226.-I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	